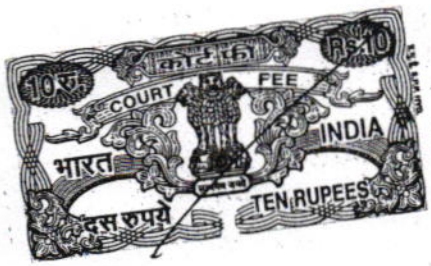

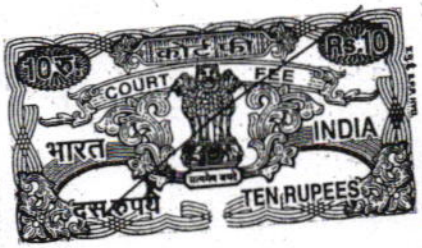

(84)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल म0 प्र0

निग – 2069 – II-16

रामविलास आ0 श्री नन्नूलाल
निवासी ग्राम धनकोट तहसील रेहटी
जिला सीहोर म0 प्र0 .... उत्तरवादी / पुनरीक्षणकर्ता

(116)

बनाम

द्वारा राकेश यादव अभि० द्वारा आज दि० 14/6/16 को प्रस्तुत।
14-6-16
सहा० अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

कैम्प भोपाल में 21-6-16 को प्राप्त 21-6-16

1. प्रेमबाई पुत्री नन्नूलाल
2. रामवतीबाई पुत्री नन्नूलाल
3. अमरसिंह आ0 नन्नूलाल
4. कमलसिंह आ0 नन्नूलाल
5. बहादुरसिंह आ0 नन्नूलाल
6. रम्पीबाई बेबा नन्नूलाल

निवासी ग्राम धनकोट तहसील रेहटी
जिला सीहोर म0प्र0 हॉल मुकाम
ग्राम कजली तहसील सिवनी मालवा
जिला होशंगाबाद म0प्र0 .... अपीलार्थी / उत्तरवादी गण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू.रा.संहिता

पुनरीक्षणकर्ता / उत्तरवादी की ओर निम्न निवेदन है कि :–

याचिकाकर्ता द्वारा यह याचिका माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय बुदनी के अपील प्रकरण क्रमांक 45 / अपील / 2014–15 मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29.04.2016 से दुखी व असुन्तुष्ट होकर यह याचिका न्यायदान हेतु माननीय न्यायलय के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

पुनरीक्षण याचिका के तथ्य

यह कि अपीलार्थी / उत्तरवादी द्वारा उत्तरवादी / याचिकाकर्ता के विरूद ग्राम धनकोट तहसील रेहटी स्थिति भूमि खसरा नंबर 49 / 1 / 1 रकबा 9.00 एकड लगान 11.81 रूपये के संबंध में संशोधन पंजी क्रमांक 22 आदेश दिनांक 24.02.1993 को न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय बुदनी के समक्ष प्रस्तुत की थी और साथ ही एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रस्तुत किया था। उक्त अपील 22 वर्षो के बाद माननीय निम्न न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो अवधि बाधित थी जिसके विलंब का कोई युक्तियुक्त कारण अपीलर्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया और आवेदन पत्र एवं लिखित तर्क के आधार पर ही अपीलार्थी / उत्तरवादी का उक्त आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का माननीय निम्न न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया जबकि उत्तरवादी / याचिकाकर्ता द्वारा उक्त [illegible]

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2069–दो/16 **जिला** –सीहोर

दिनांक तथा	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों के हस्ताक्षर आदि के
19-8-16	आवेदक के अधिवक्ता श्री राकेश यादव उपस्थित । उनके द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बुधनी जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 45/अपील/2014–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29.4.16 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक की भूमि ग्राम धनकोट तहसील रेहटी सिथत भूमि खसरा नंबर 49/1/1 रकबा 9.00 एकड संशोधन पंजी कमांक 22 आदेश दिनांक 24.2.93 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी बुधनी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसके साथ धारा–5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत किया। अपील 22 वर्ष बाद अनुविभागीय अधिकारी बुधनी के यहां प्रस्तुत की । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण में दिनांक 29.4.16 को स्थगन जारी किया गया था इसी से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। 3– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। अधिवक्ता के तर्कानुकम में अनुविभागीय अधिकारी के यहां दोनों पक्षों के अधिवक्ता द्वारा तर्क में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा लेख किया है कि आवेदक एवं	

अनावेदक मृतक नन्नू लाल के पुत्र एवं पुत्रियां हैं । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया गया है कि संशोधन पंजी कमांक 22 के देखने से स्पष्ट हे कि आवेदक कमांक 1, 2 के नाम संशोधन पंजी में सम्मिलित नहीं है तथा अपीलार्थी कमांक 3 से 5 के हस्ताक्षर भी पंजी पर नहीं है। जिससे स्पष्ट हे कि आवेदकगणों के उक्त संशोधन की जानकारी नहीं थी। अनावेदक द्वारा भी ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था कि संशोधन पंजी की जानकारी थी।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिया गया स्थगन विधि विधान से सही है क्यों कि अनावेदकगण के संशोधन पंजी पर हस्ताक्षर ही नहीं है जिससे यह स्पष्ट है कि संशोधन की उन्हें जानकारी नहीं है। अतः आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों।

सदस्य